भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2449
दिनांक 06 अगस्त, 2024/ 15 श्रावण, 1946 (शक) को उत्तर के लिए

नए कानून

2449. श्री जुगल किशोरः

श्री मनीष जायसवाल

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या नए कानूनों में मामलों को वापस लेने हेतु विशेष प्रावधान किए गए हैं;
(ख) क्या मामलों को वापस लेने के मामले में पीड़ित का पक्ष भी सुने जाने की संभावना है; और
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री बंडी संजय कुमार)

(क) से (ग) : आपराधिक न्याय प्रणाली में अधिक पीड़ित-केंद्रित दृष्टिकोण को बढ़ावा देने हेतु, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 360 के तहत एक परंतुक जोड़ा गया है, जो यह प्रावधान करता है कि अभियोजन वापस लेने से पहले, न्यायालय को पीड़ितों को अपना पक्ष रखने का अवसर देना चाहिए। यह प्रावधान पीड़ितों की चिंताओं को देखता है और उन्हें सहायता प्रदान करता है, जिससे आपराधिक न्याय प्रक्रिया की समग्र निष्पक्षता और जवाबदेही बढ़ती है।

******